न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री महावीर प्रसाद नायक (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 102/2019

उनवान

1 श्रीमती रामप्यारी पत्नी मगना नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.

———————(प्रार्थी)

1. महादेव पिता हीरा नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
2. भैरू पिता जगन्नाथ नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
3. भंवरलाल पिता सोहन नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
4. मिठु पिता हजारी नायक उम्र वयस्क निवासी खेडा पालोला तहसील फुलियाकंला जिला भीलवाडा राज.
5. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार फुलियाकंला जिला भीलवाड़ा

———————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित–

श्री विष्णु दत्त शर्मा ....प्रार्थी अधिवक्ता

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा.भू.अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढ़ी आराजीयात

: : निर्णय : :

दिनांक – 13.02.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय मे दिनांक 09.12.2019 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके **ग्राम खेडा पालोला पटवार मण्डल कोठिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 114 के आ0न0 519, 559, 895/457, 896/458, 900/543, 901/546 किता 6 रकबा 01–18 है. एवं खतौनी संख्या 115 के आराजी संख्या 277 रकबा 0.27 है. भूमि** स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता हैं। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 9.12.2019 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सुचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई दिनांक 13.02..2020 पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जाते है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

: : आदेश : :

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरूद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके **ग्राम खेडा पालोला पटवार मण्डल कोठिया भू0अ0नि0 अरवड तहसील फुलियाकंला** मे उसके खाते की कृषि भूमि **खाता संख्या 114 के आ0न0 519, 559, 895/457, 896/458, 900/543, 901/546 किता 6 रकबा 01–18 है. एवं खतौनी संख्या 115 के आराजी संख्या 277 रकबा 0.27 है.** भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू–अभिलेख निरीक्षक अरवड नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू–अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ौसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत् सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.02.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद नायक)
उपखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा